# समता ज्योति

वर्ष : 16 अंक : 03 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 मार्च, 2025

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये ( चार पेज )


"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
( 27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से )

# ''कामारेड्डी घोषणपत्र के प्रति प्रतिबद्ध तेलंगाना सरकार- ओबीसी समुदाय को 42 फीसदी आरक्षण''

## ओबीसी समुदाय के लिए तेलंगाना सरकार का एलान- शिक्षा, नौकरी और राजनीति में मिलेगा 42 फीसदी आरक्षण

हैदराबाद। सीएम रेवंत रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि तेलंगाना विधानसभा के नेता और मुख्यमंत्री के रूप में पूरी गंभीरता से घोषणा करता हूं कि तेलंगाना में ओबीसी आबादी 56.36 प्रतिशत है। अब हम शिक्षा, नौकरी, रोजगार और राजनीति में इस समूह के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण तय करने का संकल्प ले रहे हैं।

ओबीसी समुदाय के लिए तेलंगाना सरकार ने बड़ा एलान किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य में शिक्षाए नौकरी और रोजगार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ओबीसी आबादी को 42 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। अब तक 23 प्रतिशत था।

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि तेलंगाना विधानसभा के नेता और मुख्यमंत्री के रूप में पूरी गंभीरता से घोषणा करता हूं कि हमारे लोगों के सबसे वैज्ञानिक, कठोर और अथक प्रयासों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तेलंगाना में ओबीसी आबादी 56.36 प्रतिशत है। अब हम शिक्षाए नौकरीए रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इस समूह के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण तय करने का संकल्प ले रहे हैं। इतिहास के सही पक्ष पर रहें और हम में से हर एक इस ऐतिहासिक कदम का चैंपियन बने।

उन्होंने लिखा कि तेलंगाना को भारत में सामाजिक क्रांति का नेतृत्व करने पर गर्व है। मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद से पिछड़े समूहों की सबसे लंबे समय से लंबित मांगए पिछड़ी जातियों से संबंधित हमारे भाइयों और बहनों की आधिकारिक जनगणना में गिनती और मान्यता की इच्छा आखिरकार पूरी हो गई है।

इससे पहले सीएम रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जाएगा। सत्ता संभालने के तुरंत बाद लोगों की सरकार ने चार फरवरी 2024 को ओबीसी जाति जनगणना शुरू की। पिछली सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 37 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था। हमारी सरकार पहले के प्रस्ताव को वापस ले रही है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक अवसरों में ओबीसी के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण का नया प्रस्ताव भेज रही है। सदन के नेता के रूप में मैं आश्वासन दे रहा हूं कि सक्रिय कदम उठाऊंगा और 42 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण हासिल कराऊंगा। सभी दलों के नेताओं से अपील है कि वे एक साथ आएं और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलें। हम ओबीसी आरक्षण को 42 प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवश्यक कानूनी सहायता भी लें जब तक पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल जाता हम शांत नहीं बैठेंगे।

# महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग

नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की मांग को लेकर अलका लांबा का जतंर-मंतर पर प्रदर्शन किया गया।

अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने महिला कांग्रेस की अन्य सदस्यों के साथ सोमवार को जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की गई।उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था- कहे हर भारत की नारी, अभी लागू करो 33 प्रतिशत हिस्सेदारी, भारत की हर महिला 33 प्रतिशत आरक्षण के तत्काल कार्यान्वयन की मांग कर रही है।

### लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई सीटें आरक्षित

उन्होंने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देने वाला कानून पारित करने के लिए त्वरित सरकारी कार्रवाई का आह्वान किया, ताकि महिलाओं को राजनीति में अधिक आवाज मिल सके। 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम में एक प्रावधान शामिल है जो महिलाओं के लिए लोकसभा 'संसद के निचले सदन' और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया था।

# हमारी सरकार बनी तो 100 प्रतिशत डोमिसाइल लागू करेंगे: तेजस्वी यादव

पटना। बिहार में राजनीतिक तापमान एक बार फिर बढ़ गया है। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने है। चुनावों के मद्देनजर सरकार और प्रतिपक्ष के नेताओं ने घोषणाएँ शुरू कर दी है। इसमें नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने युवा नीति और रोजगार पर बड़े एलान किए।

तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि अगर राजद सरकार में आती है, तो प्रदेश की नौकरियों में 100 प्रतिशत डोमिसाइल लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। हम बिहार सरकार की नौकरियों में आवेदन शुल्क माफ करेंगे और एक महीने के अंदर युवा आयोग का गठन करेंगे।

### 65 प्रतिशत आरक्षण फिर से लागू करेंगे

तेजस्वी यादव ने कहा कि जब उनकी सरकार थी, तब आरक्षण का दायरा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे रद्द करवा दिया। उन्होंने एलान किया कि राजद की सरकार आते ही इसे फिर से लागू किया जाएगा।

### अधिवास-आधारित आरक्षण समानता के अधिकारों का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अधिवास-आधारित आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। साथ ही इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन भी बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवास-आधारित आरक्षण स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। हम सभी भारत के क्षेत्र में निवास करते हैं। प्रांतीय या राज्य निवास जैसा कुछ नहीं है। केवल एक ही निवास है। हम सभी भारत के निवासी हैं। हमें भारत में कहीं भी निवास चुनने और देश में कहीं भी व्यापार और पेशा करने का अधिकार है। संविधान हमें भारत भर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश चुनने का अधिकार भी देता है।

सुप्रीम कोर्ट के आधार पर यादव का बयान एक मात्र जुमला ही साबित होगा।

अध्यक्ष की कलम से

## ''बौना विपक्ष''

साथियों,

लोकतंत्र की अन्तर्राष्ट्रीय अवधारणा में यह मान्य है कि विपक्ष सरकार को संविधान की सीमाओं में आबद्ध रखने का प्रयास करेगा। लेकिन लगता है कि भारत की विपक्षी पार्टी काँग्रेस इसमें विश्वास नहीं रखती है। कुल राष्ट्रीय दलों में से मात्र काँग्रस सवा सौ साल पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है। संयोग से विपक्ष का नेता भी इसी काँग्रेस पार्टी का है।

विशेषकर आरक्षण को नासूर बनाने वाले प्रमुख तत्वों पर बात करलें तो पहला नाम तथ्यपरक ढंग से कांग्रेस का ही आता है। एकदम शुरू में जब देश का संविधान बना तो जाति आरक्षण शुरू हुआ। दस साल बाद ही ''दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली समाप्त की गई। 1995 में नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण लागू किया। फिर 117 वाँ संविधान संशोधन **( जिसे समता आन्दोलन ने रुकवाया )** पदोन्नति में आरक्षण की सूखती हुई बेल को फिर से हरा करने का प्रयास किया।

और इन दिनों तो कमाल करते हुए धर्म के नाम मुस्लिम समाज को कर्नाटक में आरक्षण दिया जा रहा है। सभी जानते हैं कि संविधान इसकी आज्ञा कभी नहीं देगा। लेकिन, काँग्रेस समझने को तैयार नहीं है। बल्कि इससे पहले जाति जनगणना का अनावश्यक विष फैलाकर चुनावों में स्वयं को अपमानित करवाया उसके इस तरह के संविधान विरोधी विरोध में समूचा विपक्ष शामिल होकर अपने को बौनों की जकात का हिस्सा बना रहा है। यह पूरी तरह अशुभ है।

-जय समता।

## सम्पादकीय

# ''अनेक प्रश्नों का जनक है–जाति आरक्षण''

हमारे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब–जब धरती पर बहुत अन्याय और अनीति बढ़ जाते थे तब–तब ऋषि, महर्षि, तपस्वी, साधक को साथ लेकर धरती गाय का स्वरूप धारण करके ब्रह्मा अर्थात परमात्मा से प्रार्थना करती थी। उसके बाद परमेश्वर कोई तरीका बताते थे अथवा स्वयम् अवतार धारण करके समस्या और उसने मूल कारण का निदान करते थे। आज ये सब बातें एक कपोल कल्पना लगती है। अब परमेश्वर का अधिकार को संविधान नामक पुस्तक को सौंपब दिया गया। जो न तो खुद बोल सकता है न लिख सकता है और न ही समस्या का निदान कर सकता है।

बेशक देश की हर समस्या का समाधान हमसंविधान में निहित पाते हैं। लेकिन उन्हें खोज निकालकर लागू करने के लिये न्यायपालिका नामक लोकतंत्त का सबसे मजबूत स्तम्भ हुआ करता था। अब ऐसा कह पाना बहुत कठिन है। मुन्सिफ से लेकर सुप्रीमकोर्ट तक फैला न्याय तंत्र का जाल इतना जटिल है कि, उसे खुद को सुलझाने में कई बार दशकों लग जाते हैं। ये बात कम से कम जाति आरक्षण पर तो अक्षरश: लागू होती है। शुरू में मात्र 10 सालों से लिये राजनैतिक क्षेत्र में लागू किया गया आरक्षण भी जात के आधार पर नहीं बल्कि पिछडे पन के आधार पर इस अकाट्य शर्त के साथ लागू किया गया था कि दस साल बाद स्वत: समाप्त हो जायगा।

प्रश्न ये नहीं है कि शुरु के दस साल चलने वाला आरक्षण आज 75 सालों बाद भी आखिर चल कैसे रहा है ?? प्रश्न ये भी नहीं है कि शुरु के दस सालों तक चलने वाले आरक्षण में भी ''दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र'' की व्यवस्था शामिल थी जिसे 1961 में हटा लिया गया। फिर प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि स्वत: खत्म जाने वाला आरक्षण अब तक निर्बाध गति से चल कैसे रहा है ( ?) इसे लेकर हाई कोर्ट के ही रिटायर जज ने दस साल पहले जो रिट दायर की थी उसे सुनने की हिम्मत किसी अदालत के पास नहीं है। यही नहीं, सच ये भी है कि पिछले लगभग तीन सालों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाति आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं की फाईलें कहीं रखकर भूल गये लगते हैं ?

विधानसभाएं और संसद अपने मूल चरित्र से कितना हट चुकी हैं इस पर चर्चा की जरूरत नहीं रह गई है। अब चर्चा का विषय सिर्फ ये हो सकता है कि विधायिका और न्यायपालिका यदि थककर बैठी हुई दिखती हैं तो जनता फिर कहाँ जायेगी?

हम मानते हैं कि आज के सम्पादकीय में अनेक प्रश्न उठे हैं। लेकिन फिर भी प्रश्न शेष है कि आखिर किया क्या जाये? यह तो स्पष्ट दिखाई देता है कि लोकतंत्र शिथिल हुआ है। अब मुद्दा मनुष्य या लोक कल्याण नहीं रह गया है। फिर समता, समानता, बराबरी की बातें करना ही बेमानी लगता है। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए सरकारों ने नौकरी देना लगभग बंद कर दिया है। सम्भवत: युवाओं की बड़ी संख्या में आत्महत्या भी इसी कारण हो रही हैं। और इन सबके पीछे है मात्र जाति आरक्षण !!! अत: हम तो यही कहेंगे जाति आरक्षण मुर्दाबाद।

जय समता।

– योगेश्वर झाड़सरिया –

# भारत में आरक्षण नीतियों पर पुनर्विचार

एक अच्छा लोकतंत्र नागरिकों को तौलता नहीं, बल्कि गिनता है। यहाँ हर कोई समान देखा जाता है और उसका मूल्यांकन व्यक्तियों के रूप में किया जाता है, समूहों के सदस्य के रूप में नहीं। चुनौती इसमें है कि इस आदर्श और यथार्थ के बीच की खाई को प्रत्येक समाज किस प्रकार नीति के माध्यम से पाटने की कोशिश करता है। लेकिन क्या रोजगार और शिक्षा के लिये आवेदकों के बीच भेदभाव करना समानता प्रदान करने के लिये सबसे प्रभावी नीति साधन है? क्या यह संभव है कि एक समूह के पक्ष में दूसरे समूह के साथ भेदभाव किये बिना समानता लाई जा सकती है? आरक्षण व्यवस्था आने वाली पीढ़ियों के लिये अनुचित और विभाजनकारी सिद्ध हो सकता है।

### –: आरक्षण से जुड़े मुद्दे :–

* **शिक्षा और रोजगार की गुणवत्ता:**– आरक्षण नीतियाँ मुख्य रूप से शिक्षा और सरकारी नौकरियों तक पहुँच को लक्षित करती हैं। हालाँकि, एक चिंता यह है कि ये नीतियाँ दीर्घकाल में शिक्षा और कार्यबल की गुणवत्ता से समझौता कर सकती हैं, क्योंकि उम्मीदवारों का चयन योग्यता के बजाय कोटा के आधार पर किया जा सकता है।
* **प्रतिभा पलायन:**– कुछ लोगों का तर्क है कि आरक्षण नीतियों से प्रतिभा पलायन या ब्रेन ड्रेनष् की स्थिति बन सकती हैए जहाँ अनारक्षित श्रेणियों के प्रतिभाशाली व्यक्ति आरक्षण प्रणाली के भेदभाव से बचने के लिये अध्ययन या काम की तलाश में विदेश का रुख कर सकते हैं। इससे देश के भीतर प्रतिभा की हानि की स्थिति बन सकती है।
* **आक्रोश और विभाजन:**– आरक्षण कभी.कभी समाज के भीतर सामाजिक और आर्थिक विभाजन पैदा कर सकता है। यह विभाजन उन लोगों में आक्रोश उत्पन्न कर सकता है जो क्रियान्वित नीतियों के लाभ से वंचित रह जाते हैं और इससे सामाजिक एकजुटता एवं विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
* **अक्षमताएँ और भ्रष्टाचार:**– आरक्षण नीतियाँ कभी.कभी अक्षमताओंए भ्रष्टाचार और जाति प्रमाणपत्रों में हेरफेर के कारण दूषित भी हो जाती हैं। ये मुद्दे प्रणाली की प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं और विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
* **लक्ष्यीकरण का अभाव:**– आरक्षण नीतियाँ प्राय: व्यापक श्रेणियों पर निर्भर करती हैंए जो उन श्रेणियों के सबसे वंचित व्यक्तियों को सटीक रूप से लक्षित नहीं कर पाती हैं। संभव है कि आरक्षित श्रेणियों के कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तरह वंचना के शिकार नहीं होंए फिर भी इसका लाभ उठा रहे हों।
* **कलंक और रूढ़िवादिता:**– आरक्षण से कभी.कभी आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये कलंक और रूढ़िवादिता का सामना करने की स्थिति बन सकती हैए जो उनके आत्म.सम्मान और समग्र विकास को प्रभावित कर सकता है।
* **आर्थिक विकास बनाम सामाजिक विकास:**– आरक्षण नीतियाँ सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति रखती हैंए लेकिन संभव है कि वे प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक असमानताओं को संबोधित नहीं करें। असमानता को दूर करने और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिये आर्थिक विकास भी महत्त्वपूर्ण है।
* **राजनीतिक शोषण:**– आरक्षण नीतियों का उपयोग कभी.कभी राजनीतिक लाभ के लिये किया जाता हैए जहाँ दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के बजाय अल्पकालिक राजनीतिक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

### आरक्षण की बढ़ती मांग के पीछे कारण

* आरक्षण को अब गलत सोच वाली विकास नीतियों के प्रतिकूल प्रभावों के समाधान के रूप में देखा जाने लगा है।
* हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों में, उनकी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद, तीन बातें लोगों को चिंतित कर रही हैं:–
  - ०० तीव्र कृषि संकट,
  - ०० रोजगार वृद्धि में स्थिरता और
  - ०० विकास पथ में विकृतियाँ।
* इस पृष्ठभूमि में, सरकारों के लिए आरक्षण की बात करनाए सुधार करने से कहीं अधिक आसान है।
* उच्च जातियों में आरक्षण की बढ़ती मांग भी विशेषाधिकार खोने के डर और बदलाव से निपटने में असमर्थता से उत्पन्न हो रही है
* उच्च जातियों के लोग विशेषकर सरकारी नौकरियों के मामले में वंचित महसूस करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पिछड़े वर्गों के समान लाभ नहीं मिलता।

### आरक्षण पर सुझाव

* आरक्षण का लाभ वंचित जातियों के अधिकांश वंचित बच्चों को मिलना चाहिए, न कि जातिगत टैग वाले कुछ विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों को।
* उच्च पदस्थ अधिकारी परिवारों, उच्च आय वाले पेशेवरों और एक निश्चित आय से ऊपर के अन्य लोगों को विशेष रूप से सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
* आरक्षण के माध्यम से प्रत्येक समुदाय के जरूरतमंद व्यक्ति की निष्पक्ष एवं व्यावहारिक तरीके से मदद करना संभव एवं आवश्यक है।
* आरक्षण की प्रक्रिया से वास्तविक आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को छांटकर न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए।
* जमीनी स्तर पर शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव समय की मांग है।
* जागरूकता पैदा करने की भी आवश्यकता है ए क्योंकि अनारक्षित वर्ग इस प्रावधान का विरोध करता रहता हैए जबकि आरक्षित वर्ग के जरूरतमंद वर्ग को इस बारे में शायद ही पता है कि इस प्रावधान से लाभ कैसे उठाया जाए या यहां तक कि इस तरह के प्रावधान मौजूद भी हैं या नहीं।
* सभी जातियों के बीच से सम्पूर्ण क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर करना तथा उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश या नौकरियों में आरक्षण देने के बजाय उनकी क्षमताओं का विकास करना जैसे क्रांतिकारी समाधान हैं ।

### आगे बढ़ने का रास्ता

* आरक्षण उचित है, क्योंकि यह समाज के दलित और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए उचित सकारात्मक भेदभाव प्रदान करता है।
* लेकिन जब यह समाज को नुकसान पहुंचाता है और संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दूसरों की कीमत पर कुछ लोगों को विशेषाधिकार सुनिश्चित करता है, तो इसे यथाशीघ्र समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
* आरक्षण से बाहर रखे गए समुदायए आरक्षण श्रेणी में शामिल जातियों के प्रति द्वेष और पूर्वाग्रह रखते हैं।
* जब अधिकतर लोग आगे बढ़ने की बजाय पिछड़ेपन की आकांक्षा रखते हैंए तो देश स्वयं स्थिर हो जाता है।
* प्रवेश संबंधी बाधाओं में ढील देकर योग्यता आधारित व्यवस्था को प्रदूषित नहीं किया जाना चाहिएए बल्कि वंचितों को वित्तीय सहायता देकर इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
* पिछड़ों के लिए न्याय, अगड़ों के लिए समानता तथा सम्पूर्ण व्यवस्था की दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य है ।

– समता डेस्क –

**पौराणिक कथन: 'माद्री'**

भद्र देश की राजपुत्री जो द्वापर के पाण्डु राजा की पत्नी और नकुल सहदेव की माता थी।।

आरक्षित के मन बातें,
देश धर्म को मारे लातें।
धरा–वरा की बात करो मत।,
पड़ती सहनी निर्मम घातें।।

कविता

## कविता- दोहे

आरक्षण के दंभ ने,
किया देश बेचैन ।
सभी योग्य छुपते फिरें,
करके नीचे नैन ।।
प्रतिभाओं के पाँव में,
आरक्षण है कील।
सरकारों की फाइलें,
संसद बनी वकील ।।
आत्मघात कर मर रहे,
चैनल बैठे मौन।
छात्रों की फसलें कटीं,
न्याय उड़ावे ड्रोन ॥
भारत भू पर देखिये,
जात बड़ा हथियार।
प्रतिभाओं को मारते,
करे न तनिक विचार ।।
संगम पर उमड़ा बड़ा,
भारत जन सैलाब।
आरक्षण का कुम्भ में,
दिखा न कहीं जवाब ।।
प्रेम प्रीत को खा गया,
जातिवाद का साँप।
रक्तबीज है साँप विष,
रहा कलेजा काँप ॥
जातिबाद पर सब जगह,
रहते नेता मौन।
मन में है पीड़ा बहुत,
लेकिन पूछे कौन।।
देब देवियाँ छोड़ कर,
जपो जात का नाम।
सबजन मिलकर कर रहे,
सच का काम तमाम ।
आरक्षण के दंभ ने,
किया देश बेचैन ।
सभी योग्य छुपते फिरें,
करके नीचे नैन ।।

– समता डेस्क –

# आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

सरकार को संविधान के दोनों मौलिक सिद्धांतों पर साथ-साथ ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन की कुशलता और सभी के लिए अवसर की समानता। न्यायमूर्ति ए.पी.सैन ने कहा कि ''संविधान की प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एवं समानता की बात की गई है।'' सामाजिक न्याय एवं समानता का लक्ष्य प्राप्त करते समय सरकार को सभी के हितों को समान रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सरकार द्वारा किए गए अनुपयुक्त और पक्षपातपूर्ण प्रावधान से सामाजिक ढांचा धीरे-धीरे कमजोर हो जाएगा।

अनुच्छेद 16(4) में प्रयुक्त शब्दों की ओर संकेत किया है-यदि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य किसी समूह या वर्ग के लिए आरक्षण देश की कुल जनसंख्या में उसके अनुपात के अनुसार करने का होता तो वे स्वयं ये शब्द जोड़ सकते हैं-'के अनुपात में'।

एक ओर तो सरकारें लगातार घोषणा करती रहती हैं कि वे आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना सुनिश्चित कराएंगी, जबकि सरकारों द्वारा कार्यपालिका और विधायिका : दोनों ही स्तरों पर की जाने वाली काररवाई - जिसमें मलाईदार परत को बाहर नहीं किया जाता बल्कि पिछड़े वर्ग की सूची में और भी जातियों को शामिल कर लिया जाता है - से आरक्षण की व्यवस्था में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है।'

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने जाति-आधारित आरक्षण पर आशंका प्रकट करते हुए लिखा था कि ''इससे एक ओर तो जातिप्रथा को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी ओर, हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों के लोगों को आरक्षण के प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकेगा; जबकि उनमें भी ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं।''

संविधान के मूल प्रारूप के अनुच्छेद 10 - जो आरक्षण से सम्बन्धित था - के प्रावधान पर संविधान सभा में अपने भाषण में डॉ. अंबेडकर ने स्वयं आगाह किया था कि समानता का सिद्धांत या कानून कहीं इतना व्यापक न हो जाए कि वह पूरे सिद्धांत या कानून को ही निगल जाए।

''आरक्षण की सीमा निर्धारित करना मूल रूप से सरकार के निर्णय-क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सरकार के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वस्तुत: आरक्षण का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाना ही होना चाहिए।

'' हालांकि उन्होंने सचेत भी किया कि पदोन्नति में आनुपातिक आरक्षण लागू करते समय सरकार को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि इससे प्रशासन की कुशलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ''यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि प्रशासन की कुशलता और सक्षमता सर्वोपरि है, उसकी उपेक्षा करके किसी तरह का आरक्षण का भी प्रावधान नहीं किया जा सकता।

''अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को दिये जाने वाले समानता के मौलिक अधिकार का अपवाद है; और किसी मौलिक अधिकार के अपवाद को इतने व्यापक अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए कि उससे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होने लगे।''

यह एक मूलभूत विषय है, जिस पर हमें विचार करना चाहिए। फिलहाल आइए देखें, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में और बार-बार निम्नलिखित निर्देश दिए हैं - मलाईदार परत की पहचान की जानी चाहिए।
पहचान की यह प्रक्रिया और परिणामस्वरूप उसका बहिष्कार-सब कुछ यथार्थ होना चाहिए।
अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आय एवं अन्य कारकों का निरर्थकता की हद तक 'उच्च स्तर' प्रस्तुत करके उस शर्त का अपवंचन करने का प्रयास करने के लिए बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा था कि ''इन सरकारों ने मंडल मामले में बनाए गए कानून का पूरा-पूरा उल्लंघन किया है।''
इस मलाईदार परत की पहचान का कार्य उद्देश्यमूलक होना चाहिए। - इसमें विभिन्न मामलों में अग्रणी वर्ग की पहचान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। - इस प्रकार तैयार की गई सूची की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। एक बार पिछड़ा तो हमेशा पिछड़ा-यह सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है।

# कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को चार फीसदी आरक्षण पर सियासत

बंगलूरू। सियासी विरोध के बीच कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में मुस्लिमों के लिए सरकारी ठेकों में चार फीसदी आरक्षण लागू करने वाला विधेयक पेश किया।

कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) (संशोधन) विधेयक में संशोधन को मंजूरी दी है। इसमें दो करोड़ रुपये तक के नागरिक कार्यों और एक करोड़ रुपये तक के माल-सेवा अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत अनुबंध आरक्षित किए गए हैं। प्रस्ताव की घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सात मार्च को पेश किए गए 2025-26 के बजट में की थी। भाजपा ने सरकारी अनुबंधों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के कर्नाटक सरकार के कदम को असांविधानिक बताया था। भाजपा ने रद्द करने की मांग समेत अदालत तक जाने का एलान किया था।

विधेयक में 2025-26 के बजट भाषण में दिए गए प्रस्ताव को लागू करने के लिए केटीपीपी अधिनियम, 1999 में संशोधन किया गया है। विधेयक का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के बीच बेरोजगारी को दूर करना और सरकारी निर्माण परियोजनाओं में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। विधेयक में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के बीच एक करोड़ रुपये तक के मूल्य के अनुबंधों के लिए अधिसूचित विभागों में निर्माण कार्यों को छोड़कर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में आरक्षण का भी प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 17.5 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 6.95 प्रतिशत, ओबीसी की श्रेणी 1 के लिए 4 प्रतिशत, श्रेणी 2ए के लिए 15 प्रतिशत और श्रेणी 2बी (मुस्लिम) के लिए 4 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण दिया गया है।

मौजूदा समय में कर्नाटक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 24 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी 1 में चार प्रतिशत और ओबीसी-श्रेणी 2 ए के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

### भाजपा बोली: सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ जाएंगे अदालत

मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी ठेकों में 4 प्रतिशत आरक्षण देने के सिद्धारमैया सरकार के प्रस्ताव का भाजपा ने विरोध किया। पार्टी ने इसे असंवैधानिक कदम करार दिया। भाजपा ने कहा कि वह इस कदम को कोर्ट में चुनौती देगी और इसे वापस लेने तक विरोध जारी रखेगी। इससे पहले राज्य कैबिनेट ने कर्नाटक पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद अधिनियम (केटीपीपी) में संशोधन को मंजूरी दी थी, जिसके तहत दो करोड़ रुपये तक के सरकारी निर्माण कार्यों और एक करोड़ तक के माल या सेवा ठेकों में चार फीसदी मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षित किया गया है।

भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा- भाजपा इस असंवैधानिक कदम का कड़े शब्दों में विरोध करती है। हम सिद्धारमैया सरकार से मांग करते हैं कि यह असंवैधानिक कदम तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार का यह फैसला कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व, खासकर पार्टी नेता राहुल गांधी के निर्देश पर मुस्लिम समुदाय को खुश करने की एक संगठित चाल है। उन्होंने कहा- यह असंवैधानिक और स्पष्ट तौर पर गैरकानूनी कदम है, जिसे हम कोर्ट में चुनौती देंगे। भाजपा इस कदम का विधानसभा के भीतर और सड़क पर विरोध करेगी।

बंगलूरू दक्षिण लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्या ने आगे कहा कि कर्नाटक सरकार का यह कदम राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरे जैसा है। उन्होंने कहा, हम कोर्ट का रुख करके और कर्नाटक के लोगों के बीच जाकर इस कदम का विरोध करेंगे। जब तक यह असंवैधानिक कदम वापस नहीं लिया जाता, भाजपा का विरोध जारी रहेगा।

# समता आंदोलन समिति भरतपुर-डीग का विस्तार कार्यशाला व होली मिलन समारोह

अजमेर। समता आंदोलन समिति की बैठक अजमेर जिला गौड़ ब्राह्मण महासभा भवन में आयोजित हुई, इस कार्यक्रम में नवगठित शैक्षिक प्रकोष्ठ की कार्यकारणी अध्यक्ष दिनेश शर्मा सचिव रोहित सारस्वत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानेश कुमार मिश्रा, आनंद शर्मा, सयुंक्त सचिव महेश जैमन, वरिष्ठ संगठन मंत्री विजेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष राजेश दूबे को समता आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने शपथ दिलाई। जिला अध्यक्ष किशन गोपाल मोदानी ने समता आंदोलन के बारे में बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने कहा कि समता आन्दोलन की भूमिका जातिगत आरक्षण के खिलाफ है। अनिल भारद्वाज ने कार्यक्रम अध्यक्षता की

*समता ज्योति के स्वामित्व तथा अन्य जानकारी से संबंधित विवरण*

फार्म-4

( नियम 8 देखिए )

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रकाशन स्थान | : 68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर । |
| 2. | प्रकाशन की अवधि | : मासिक |
| 3. | मुद्रक का नाम | : समता आन्दोलन समिति |
| | राष्ट्रीयता | : भारतीय |
| | पता | : 68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर । |
| 4. | प्रकाशक का नाम | : समता आन्दोलन समिति |
| | राष्ट्रीयता | : भारतीय |
| | पता | : 68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर । |
| 5. | सम्पादक का नाम | : योगेश्वर शर्मा |
| | राष्ट्रीयता | : भारतीय |
| | पता | : जी-3, संगम रेजिडेन्सी, चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर । |
| 6. | उन व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्रिका के स्वामी है तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार है। | : समता आन्दोलन समिति 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर। |

मैं पाराशर नारायण शर्मा, अध्यक्ष समता आन्दोलन समिति एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सत्य है।

मार्च, 2025 पाराशर नारायण शर्मा

अध्यक्ष, समता आन्दोलन समिति

भरतपुर। गिरीश रिसॉर्ट काली की बगीची पर समता आंदोलन समिति भरतपुर-डीग की कार्यशाला व होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता समता आंदोलन के संभाग अध्यक्ष हेमराज गोयल ने की। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा व विशिष्ट अतिथि संभाग अध्यक्ष शैक्षिक प्रकोष्ठ ओमप्रकाश शर्मा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर अतिथियों द्वारा पुष्पाहार चढाकर व दीप प्रज्वलित कर की गई। संभाग अध्यक्ष हेमराज गोयल ने सभी अतिथियों का शब्दिक स्वागत किया गया। मनीष गुप्ता,अशोक शर्मा, योगेश जैन शुभनेश पाराशर ने आगंतुकों का पटका पहनाकर व चंदन का टीका लगाकर स्वागत किया। समता आन्दोलन के जिलाध्यक्ष केदारनाथ पाराशर ने बताया कि इस कार्यक्रम में भरतपुर-डीग जिले समता आंदोलन के लगभग एक सौ पच्चीस पदाधिकारीगण व सक्रिय सदस्य उपस्थित हुए। समता आंदोलन को ग्रासरूट तक कैसे पंहुचे, यह कैसे जन आंदोलन बने, किस प्रकार समता आंदोलन राष्ट्र की उन्नति में, सामाजिक समरसता में, समता लाने में भूमिका निभा सकता है आदि बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श हुआ।

जिनसे यह निष्कर्ष निकल कर आया कि शहर के वार्ड व ग्राम

पंचायत स्तर पर अध्यक्ष व सचिव मनोनीत कर कार्यकारिणियों का गठन किया जाए, ये कार्यकारिणियां वंचित शोषित पीडित परिवारों तक समता आंदोलन की नितियों की चर्चा करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक हकदार को मिले उनके लिए सहयोग करें।

राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि समता आंदोलन हर इंसान एक समान एक राष्ट्र एक जान मेरा भारत महान के उद्देश्य को लेकर काम कर रहा है। आगे कहा कि यह आन्दोलन एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ नहीं बल्कि इस एक्ट के दुरुपयोग के खिलाफ है। जातिवाद के खिलाफ है समाज का हर वर्ग सम्माननीय है। हर समाज में शोषित वंचित पीडित हैं उनका उत्थान हो। समता आंदोलन केन्द्र के ईडब्लूएस के मानदंड सभी वर्गों पर लागू हों तो वास्तविक कमजोर वंचित शोषित को लाभ पहुंचेगा। आरक्षित वर्गों में उपवर्गीकरण की मांग को सर्वोच्च न्यायालय ने जायज ठहराया है। उसे सरकार लागू करें।

इस अवसर पर संभाग अध्यक्ष हेमराज गोयल, संभाग शैक्षिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, कौशलेश शर्मा, समता आन्दोलन जिलाध्यक्ष केदारनाथ पाराशर, शहर सचिव मनीष गुप्ता, जिला शैक्षिक प्रकोष्ठ सचिव अनिल गर्ग, आयुर्वेद प्रकोष्ठ अध्यक्ष डा. सतीश पाराशर, संभाग शैक्षिक प्रकोष्ठ सचिव लखनपाल सिंहए, संभाग युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष योगेश कौशिक, डीग जिलाध्यक्ष राहुल लवानियां, सहायक सचिव अशोक कुमार सारस, जिला कोषाध्यक्ष योगेश जैन, रूपबास तहसील अध्यक्ष प्रेमवीर शर्मा, हरि शंकर शमा, बृजमोहन, वैर तहसील अध्यक्ष गोपाल राम पाठक, मनोज मिश्र, भुसावर तहसील अध्यक्ष महेश चन्द जती, गोविन्द माधव, नदबई शहर अध्यक्ष सुरेश लवानियां, अरुण तिवारी, भरतपुर वार्ड से अरुण तिवारी, बालकिशन बंसल, के.के.शर्मा ठेकेदार पार्षद, राघवेन्द्र सिंह एडवोकेट, शुभनेश पाराशर एडवोकेट, मंगतू राम शर्मा, विष्णु चन्द, सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद डॉ. सुशील पाराशर, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता सी.एम.गुप्ता, डा. गुलाब सिंह लवानिया, सुरेन्द्र उपाध्याय राज.पुलिस, आई पी सिंह रेल्वे, महेश तिलक नगर, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शिखर चंद जैन, सुरेश चंद आर के पुरम, संजय शर्मा, शेरसिंह, महिपाल सिंह जादौन, बलराम शर्मा, सहायक अभियन्ता मनोज पाराशर, होती लाल लवानिया, आर के पुरम हरिओम हरि, जानकी प्रसाद तिलक नगर, हेमन्त कुमार ,कल्पना शर्मा ,रमेश चन्द बुंदेला विजयनगर, ठाकुर रेवेन्द्र सिंह ,ईश्वर चंद गणेश नगर, ब्रजेश गोस्वामी ,आकाश शर्मा, प्रिन्स कुमार ,विवेक ,मयंक गौरव, महेश वाल्मीक, योगेश दीक्षित, भरत सिंह पान्होरी ,मुकेश, सौरभ डीग, ध्रुव सिंह जादौन, हरि सिंह बजरंग नगर ,हिमांशु सोनी, बृजेश शुक्ला ,दिनेश चंद राज. पुलिस, शशिकांत वैर ,विष्णुदत्त शर्मा, गौरव, देवेंद्र कुमार ,वीरेन्द्र सिंह, लेखराज तेरहियां, योगेन्द्र सिंह सुभाष नगर,अजयदेव कौशिक, देवीप्रसाद सुभाष नगर, श्याम सुंदर कटारा, जय नारायण व्यास डीग आदि सैकडों गणमान्य लोग उपस्थित हुए।

कार्यक्रम का संचालन केदारनाथ पाराशर ने किया। संभाग अध्यक्ष शैक्षिक प्रकोष्ठ ओमप्रकाश शर्मा ने सभी आगन्तुक महानुभाव का आभार व्यक्त किया।

**न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।**

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in